(360) निग0-5516/2018/रीवा/भू.रा.0 (236)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

रमेश प्रसाद नामदेव तनय चिंतामणि नामदेव निवासी ग्राम रामनई थाना व तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.

......................निगरानीकर्ता

बनाम्

वीरेश कुमार शर्मा तनय जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम रामनई थाना व तह. रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म.प्र.

................गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा पेश 10.5.18

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय रा.नि. महोदय तह. रायपुर कर्चुलियान प्र.क्र. 158/अ12/17–18 पारित आदेश दिनांक 03.07.2018

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं–

1– यह कि आदेश अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक तह. रायपुर कर्चुलियान विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व निरीक्षक द्वारा निगरानीकर्ता की आपत्ति पर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की गई है जो निरस्त योग्य है।

3– यह कि यह तथ्य निर्विवाद था कि अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता द्वारा जिन भूमि खसरा क्र. 164/1, 165, 171, 173, 180, 181, 179/1, 198/1 स्थित ग्राम रामनई की जिन भूमियों के सीमांकन बाबत् दिनांक 19.05.2018 की तिथि निश्चित की गई थी उक्त दिवस को सीमांकन हेतु आवेदन पत्र/आपत्ति प्रस्तुत किए जाने पर हल्का पटवारी उक्त नम्बरानों में नक्शा व रकबा में भिन्नता होने के कारण सीमांकन कार्यवाही निरस्त की गई और मौके पर कोई सीमांकन कार्य नहीं किया गया और पंचनामा तैयार कर वापस चले गये, किन्तु उसके बाद हल्का पटवारी द्वारा अन्य नम्बरानों को काटकर मात्र यह दर्शित करने का

रमेश प्रसाद नामदेव

(236)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0/5516/2018/म.प्र. जिला रीवा

रमेश प्रसाद विरूद्ध वीरेन्द्र कुमार

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त ...... तहसील रायपुर कर्चु0 के प्रकरण क्रमांक 158/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 03-7-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

हल्का पटवारी द्वारा अन्य नम्बरानों को काटकर मात्र यह दर्शित करने का